न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 09/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया, शाखा– रामगढ़, पोस्ट रामगढ़ शेखावाटी, जिला–सीकर–331024
प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र बनवारी लाल, वार्ड नं. 08, नेहरू मौहल्ला, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर
अप्रार्थी/ऋणी
2. आशा देवी पत्नी विजय कुमार, वार्ड नं. 08, नेहरू मौहल्ला, रामगढ़ शेखावाटी, सीकर
जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 24 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **विजय कुमार, आशा देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **House of Ward No. 8, Nehru Mohalla, Ramgarh Shekhawati, Total Area 185.5 Sq. Yards. in the name of Asha Devi w/o Vijay Kumar Bounded of North by House of Khatiyan, South by House of Savarmal, East by Aam Rasta, West by House of Vasudev jangid.** को बंधक रखकर **5,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.06.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह नियमित रूप से बैंक द्वारा निर्धारित ऋण की किश्तों का भुगतान कर रहा है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि ऋणी हर माह केवल एक किश्त 7,300/– रूपये जमा करवाता है, जबकि पिछला बकाया एरियर 60,000/– रूपये जमा नहीं करवा रहा है। अतः खाता NPA है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.06.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **विजय कुमार, आशा देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **House of Ward No. 8, Nehru Mohalla, Ramgarh Shekhawati, Total Area 185.5 Sq. Yards. in the name of Asha Devi w/o Vijay Kumar Bounded of North by House of Khatiyan, South by House of Savarmal, East by Aam Rasta, West by House of Vasudev jangid.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांक: **24अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner